संख्या-91/2016/1619/सैंतीस-2-2016-1(1)/2015

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद,
बादशाहबाग, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 सितम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रीडिंग (100 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-410(6)/यू.पी.एल.डी.बी./ए.इ.एस./एन.पी.बी.बी.:एस.सी.पी./2016-17, दिनांक-23.06.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रीडिंग (के.100/रा.00-के.) योजनान्तर्गत नई मांग के माध्यम से प्राविधानित रू0-812.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
2403-पशुपालन-आयोजनागत- **789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-** **01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-** **0105-नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रीडिंग (के.100/रा.00-के.)**	
18-प्रकाशन	40.00
29-अनुरक्षण	800.00
39-औषधि तथा रसायन	600.00
42-अन्य व्यय	2678.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	6632.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	750.00
योग-	**11500.00**
4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत- **789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-** **01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-** **0101-नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रीडिंग (के.100/रा.00-के.)**	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8500.00
महायोग-	**20000.00**

(रूपये दो करोड़ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स), 2016 में प्राविधानित व्यवस्थाओं तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) मानक मद 18-प्रकाशन में स्वीकृत धनराशि का व्यय विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(7) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(8) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियँत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक '2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0105-नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रीडिंग (के.100/रा.00-के.)' की सुसंगत इकाईयों एवं लेखाशीर्षक '4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रीडिंग (के.100/रा.00-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-818/दस-2016, दि0-31.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-91/2016/1619(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे स्वीकृत धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायें।
5. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in